निदेशालय

गृह रक्षा, राजस्थान

जालेब चौक, जयपुर।
फोन :- 0141-2612581, फैक्स : 0141-2633427, ई-मेल ssolrs.hq@hotmail.com
website http://rajasthanhomeguards.gov.in/

क्रमांक: गृरमु/स्था/ई-1 (13-3) 2021/ 31473 दिनांक: 18-11-2021

<u>आरक्षी, आरक्षी बिगुलर, आरक्षी ड्रमसैन एवं आरक्षी वाहन चालक भर्ती हेतु विज्ञप्ति</u>

राजस्थान होम गार्ड अधीनस्थ सेवा नियम-2021 के भाग-4 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्थान गृह रक्षा विभाग के विभिन्न जिला/यूनिट/बटालियन में आरक्षी, आरक्षी बिगुलर, आरक्षी ड्रमसैन एवम् आरक्षी वाहन चालक के 135 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए योग्य अभ्यर्थियों से ऑन लाईन आवेदन पत्र (Online application form) आमंत्रित किए जाते है। यह आवेदन पत्र Online राजकॉम इन्फो सर्विसेज लि. (RISL) द्वारा संचालित समस्त ई-मित्र कियोस्क, जन सुविधा केन्द्र, CSC (Common Service Centre) एवम् विभाग की वेबसाईट पर विज्ञप्ति समाचार पत्रों में प्रकाशित होने के पश्चात दिनांक:24.11.2021 से दिनांक: 15.12.2021 तक रात भरे जा सकते है। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑन लाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किए बिना समय सीमा में ऑन लाईन आवेदन करें।

भर्ती प्रक्रिया के दौरान राज्य सरकार द्वारा जारी किये जाने वाले आदेश/परिपत्र या नियमों में किसी प्रकार के संशोधन तत्समय प्रभावी रहेंगे।

आरक्षी, आरक्षी बिगुलर, आरक्षी ड्रमसैन एवम् आरक्षी वाहन चालक, अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा ऑफ लाईन प्रक्रिया (ओ.एम.आर. आधारित) से माह फरवरी-2022 में आयोजित किये जाने की सम्भावना है, जिसकी सूचना समाचार पत्रों/ वेबसाईट पर पृथक से प्रकाशित की जायेगी।

भर्ती हेतु रिक्त पदों की गणना योग्यता एवम् पात्रता, भर्ती प्रक्रिया इत्यादि का विस्तृत विवरण गृह रक्षा, मुख्यालय, के स्थाई आदेश क्रमांक: 06/2021/24159 दिनांक: 10.09.2021 में वर्णित है, जो कि विभाग की वेबसाईट https://home.rajasthan.gov.in/homeguards पर उपलब्ध है। किसी भी विवाद की स्थिति में उक्त स्थाई आदेशों में वर्णित प्रावधानों को ही अन्तिम माना जायेगा।

1. आवेदन प्रक्रिया :

(क) भर्ती हेतु आवेदन पत्र ऑन लाईन "Online application form" लिये जाएंगे। इस हेतु आवेदक काSSO ID उपलब्ध होना चाहिए। अगर आवेदक का SSO ID नहीं है, तो वह sso.rajasthan.gov.inपर SSO ID बना सकता है अथवा SSO ID ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र पर भी निःशुल्क बनवाई जा सकती है। यह SSO ID आवेदक को ऑन लाइन

आवेदन करते समय ई–मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र को उपलब्ध कराना /होना आवश्यक होगा।

"Online application form" के सम्बन्ध मे किसी भी तरह की जानकारी के लिए नम्बर 9352323625 / 7340557555 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

(ख) किसी भी आवेदक द्वारा "Online application form" निम्नानुसार भरा जा सकता है :–

i. स्वयं के स्तर पर : अभ्यर्थी अपने स्तर पर अथवा अन्य एजेन्सी (साईबर कैफे आदि) के माध्यम से वेबसाईट http//recruitment2.rajasthan.gov.inपर आवेदन कर सकता है। इस सम्बन्ध मे अनुदेश व प्रपत्र भी उक्त वेबसाईट पर उपलब्ध है। इस स्थिति मे परीक्षा शुल्क नेट–बैंकिंग या डेबिट / क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जमा करवाना होगा।

ii. राज्य सरकार के अधीन संचालित ई–मित्र कियोस्क के माध्यम से आवेदन करने पर –

(a) आवेदक : आवेदन भरने एवम् परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु सम्बन्धित ई–मित्र कियोस्क को सेवा शुल्क देय होंगे, जिसकी कियोस्क द्वारा रसीद जारी की जावेगी।

(ग) हाथ से भरे गये आवेदन–पत्र / हार्ड कॉपी के रूप मे किसी भी प्रकार के आवेदन पत्र विभाग द्वारा स्वीकार नही किऐ जाएंगे।

(घ) परीक्षा शुल्क जमा कराने के उपरान्त आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में भरे गये ई–मेल आई. डी. एवम् मोबाईल नम्बर पर सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन पत्र जमा हो गया है।

(ड) अभ्यर्थी ऑन लाईन आवेदन पत्र में फोटो अपलोड करने के लिए अपना स्पष्ट एवम् हाल ही में खींची गयी नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ (साईज 50 kb से 100 kb) जिस पर विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक अथवा इसके पश्चात की दिनांक (DD/MM/YY) अंकित हो तथा नमूना हस्ताक्षर (साईज 20 kb– 50 kb) स्कैन हेतु ई–मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र पर साथ लायें। ध्यान रखा जावे कि लिखित परीक्षा के लिए जारी होने वाले प्रवेश पत्र पर भी आवेदन पत्र के समय अपलोड की गई फोटो ही चस्पा की जावे।

नोट :

(1) ऑन लाईन आवेदन करने से पूर्व आवेदक से अपेक्षा की जाती है यह राजस्थान होम गार्ड अधीनस्थ सेवा नियम–2021, विस्तृत विज्ञापन, स्थाई आदेश कमांक: 06 / 2021 / 24159 दिनांक 10.09.2021 (विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध) तथा ऑन लाईन आवेदन करने एवम् परीक्षा शुल्क जमा करने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश (instruction) का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर लेवें एवम् ऑन लाईन आवेदन पत्र अन्तिम रूप से भेजने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों का प्रिन्ट आउट प्राप्त कर आश्वस्त हो जाऐं कि सभी प्रविष्टियां सही एवम् पूर्ण रूप से भरी गई है। ऑन लाईन भरे गये आवेदन पत्र का लिया हुआ प्रिन्ट शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय साथ लाना अनिवार्य होगा।

(2) आवेदकों की सुविधा के लिए राज्य के ई–मित्र कियोस्क तथा जन सुविधा केन्द्र की सूची वेबसाइटwww.emitra.rajasthan.gov.inपर उपलब्ध है।

(3) Online application formमें समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर अभ्यर्थी का आवेदन रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नही दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।

(4) आरक्षण की स्थिति व नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के नवीनतम निर्देशों एवम् नियमों के अध्यधीन परिवर्तनीय होगी।

(5) आवेदक यह ध्यान दे कि ऑन लाईन आवेदन के उपरान्त उन्हे आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से उपलब्ध होगा और यदि आवेदन पत्र क्रमांक (एप्लीकेशन आई.डी.) अंकित या प्राप्त नही हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन पत्र जमा नही हुआ है। आवेदक आवेदन प्रपत्र कोPreviewको Submit न मानें।

(6) आवेदन पत्र भरने की अन्तिम दिनांक के पश्चात 15 दिवस तक आवेदन पत्र में किसी भी तरह की त्रुटि सुधार हेतु वेबसाईट पर लिंक उपलब्ध कराया जावेगा। इससे पूर्व या पश्चात आवेदन पत्र मे किसी भी प्रकार के संशोधन हेतु प्रार्थना स्वीकार नही होगी। यह ध्यान रखा जावे कि इन 15 दिवसों मे केवल आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार का अवसर दिया जायेगा, यह आवेदन पत्र भरने का अतिरिक्त अवसर नही होगा।

(7) आवेदक द्वारा Onlineआवेदन करने तथा तत्पश्चात् त्रुटि सुधार करने का समय दिया जाने पर भी किसी प्रकार की त्रुटि सुधार नही करने के लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार माना जाकर परीक्षा मे सम्मिलित नही किया जायेगा, उसकी उम्मीदवारी निरस्त समझी जायेगी।

2. परीक्षा शुल्क :

(क) सामान्य/राजस्थान के क्रीमिलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/एमबीसी वर्ग के आवेदकों हेतु – रूपये 500/–

(ख) आर्थिक पिछड़ा वर्ग/राजस्थान के नॉन–क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/एमबीसी वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सहरिया तथा सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग/एमबीसी वर्ग के ऐसे आवेदक जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम है आवेदक हेतु (केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासी हेतु)– रूपये 400/–

(कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प–8(3)कार्मिक/क–2/18 दिनांक 02.05.2018 के अनुसार)
नोट–1–बिन्दु संख्या–ख से सम्बन्धित आय प्रमाण पत्र अभ्यर्थी को शारीरिक मापतौल (पीएसटी) के समय चयन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आय प्रमाण पत्र सही नहीं पाये की स्थिति मे पात्रता रद्द कर दी जाएगी।

2. अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के आवेदकों द्वारा शुल्क रूपये 500/– देय होगा।

3. लिखित परीक्षा प्रवेश–पत्र :

विभाग द्वारा लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश–पत्र ऑनलाईन ही जारी किए जाएगें और डाक से कोई भी प्रवेश–पत्र नही भेजा जाएगा। वेबसाईट पर प्रवेश–पत्र जारी किए जाने की सूचना लिखित परीक्षा हेतु ई–प्रवेश–पत्र उपलब्ध होने की सूचना समाचार पत्रों/वेबसाईट पर पृथक से प्रकाशित की जायेगी। अभ्यर्थी अपना प्रवेश–पत्र वेबसाईट से प्राप्त (download) करने हेतु SSO IDसे Login के पश्चात रिक्रूटमेन्ट पोर्टल (recruitment portal) से डाउनलोड कर सकते है। प्रवेश–पत्र सम्बन्धी सूचना अभ्यर्थी के ई–मेल आई.डी. (E-Mail ID) एवम् मोबाइल नम्बर पर भी भेजी जायेगी।

परीक्षा केन्द्र के सम्बन्ध में आवेदक की कोई प्राथमिकता नही होगी। एक से अधिक आवेदन करने पर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा विभाग द्वारा कोई सुविधा प्रदान नही की जायेगी। विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति भी स्वीकार नहीं की जायेगी।

4. भर्ती हेतु रिक्त पद :

गृह रक्षा, मुख्यालय, मे संधारित रोस्टर पंजिका के अनुसार वर्गवार रिक्त पदों की गणना निम्नानुसार की गई है। इन पदों में उत्कृष्ठ खिलाड़ी कोटे के लिए आरक्षित 02 पद भी सम्मिलित है। वर्गवार आरक्षण राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशानुसार किया गया है। विभाग द्वारा विज्ञापित पदों की संख्या में किसी भी समय पर परिवर्तन किया जा सकेगा, जिसके लिए पृथक से विज्ञप्ति जारी नहीं की जायेगी। सामान्य क्षेत्र एवम् टी.एस.पी.क्षेत्र के लिए आरक्षी/आरक्षी वाहन चालक के रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :–

आरक्षी (सामान्य क्षेत्र)

	सामान्य वर्ग					आर्थिक पिछड़ा वर्ग					ओ.बी.सी. वर्ग					एम.बी.सी. वर्ग					एस.सी.वर्ग					एस.टी. वर्ग					उत्कृष्ट खिलाड़ी					भूतपूर्व सैनिकों हेतु बैकलॉग पद सहित	कुल योग
	महिला			पुरुष	योग	महिला			पुरुष	योग	महिला			पुरुष	योग	महिला			पुरुष	योग	महिला			पुरुष	योग	महिला			पुरुष	योग	महिला			पुरुष	योग		
गृह रक्षा विभाग	विधवा	विच्छिन्न विवाह	सामान्य			विधवा	विच्छिन्न विवाह	सामान्य			विधवा	विच्छिन्न विवाह	सामान्य			विधवा	विच्छिन्न विवाह	सामान्य			विधवा	विच्छिन्न विवाह	सामान्य			विधवा	विच्छिन्न विवाह	सामान्य			विधवा	विच्छिन्न विवाह	सामान्य				
	2	–	6	25	33	1	–	3	6	10	2	–	3	12	17	–	–	–	2	2	1	–	3	10	14	1	–	2	8	11	–	–	–	2	2	12	101

आरक्षी (टी.एस.पी.क्षेत्र)

	सामान्य वर्ग					आर्थिक पिछड़ा वर्ग					ओ.बी.सी. वर्ग					एम.बी.सी. वर्ग					एस.सी.वर्ग					एस.टी. वर्ग					उत्कृष्ट खिलाड़ी					भूतपूर्व सैनिकों हेतु बैकलॉग पद सहित	कुल योग
	महिला			पुरुष	योग	महिला			पुरुष	योग	महिला			पुरुष	योग	महिला			पुरुष	योग	महिला			पुरुष	योग	महिला			पुरुष	योग	महिला			पुरुष	योग		
गृह रक्षा विभाग	विधवा	विच्छिन्न विवाह	सामान्य			विधवा	विच्छिन्न विवाह	सामान्य			विधवा	विच्छिन्न विवाह	सामान्य			विधवा	विच्छिन्न विवाह	सामान्य			विधवा	विच्छिन्न विवाह	सामान्य			विधवा	विच्छिन्न विवाह	सामान्य			विधवा	विच्छिन्न विवाह	सामान्य				
	–	–	–	6	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				4	4	–	–	–	–	–	–	10

आरक्षी बिगुलर, (सामान्य क्षेत्र)

	सामान्य वर्ग					आर्थिक पिछड़ा वर्ग					ओ.बी.सी. वर्ग					एम.बी.सी. वर्ग					एस.सी.वर्ग					एस.टी. वर्ग					उत्कृष्ट खिलाड़ी					भूतपूर्व सैनिकों हेतु बैकलॉग पद सहित	कुल योग
	महिला			पुरुष	योग	महिला			पुरुष	योग	महिला			पुरुष	योग	महिला			पुरुष	योग	महिला			पुरुष	योग	महिला			पुरुष	योग	महिला			पुरुष	योग		
गृह रक्षा विभाग	विधवा	विच्छिन्न विवाह	सामान्य			विधवा	विच्छिन्न विवाह	सामान्य			विधवा	विच्छिन्न विवाह	सामान्य			विधवा	विच्छिन्न विवाह	सामान्य			विधवा	विच्छिन्न विवाह	सामान्य			विधवा	विच्छिन्न विवाह	सामान्य			विधवा	विच्छिन्न विवाह	सामान्य				
	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2

आरक्षी ड्रमभैन, (सामान्य क्षेत्र)

	सामान्य वर्ग					आर्थिक पिछड़ा वर्ग					ओ.बी.सी. वर्ग					एम.बी.सी. वर्ग					एस.सी.वर्ग					एस.टी. वर्ग					उत्कृष्ट खिलाड़ी					भूतपूर्व सैनिकों हेतु बैकलॉग पद सहित	कुल योग
	महिला			पुरुष	योग	महिला			पुरुष	योग	महिला			पुरुष	योग	महिला			पुरुष	योग	महिला			पुरुष	योग	महिला			पुरुष	योग	महिला			पुरुष	योग		
गृह रक्षा विभाग	विधवा	विच्छिन्न विवाह	सामान्य			विधवा	विच्छिन्न विवाह	सामान्य			विधवा	विच्छिन्न विवाह	सामान्य			विधवा	विच्छिन्न विवाह	सामान्य			विधवा	विच्छिन्न विवाह	सामान्य			विधवा	विच्छिन्न विवाह	सामान्य			विधवा	विच्छिन्न विवाह	सामान्य				
	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2

आरक्षी वाहन चालक (सामान्य क्षेत्र)

	सामान्य वर्ग					आर्थिक पिछड़ा वर्ग					ओ.बी.सी. वर्ग					एम.बी.सी. वर्ग					एस.सी.वर्ग					एस.टी. वर्ग					उत्कृष्ट खिलाड़ी					भूतपूर्व सैनिकों हेतु बैकलॉग पद सहित	कुल योग
	महिला			पुरुष	योग	महिला			पुरुष	योग	महिला			पुरुष	योग	महिला			पुरुष	योग	महिला			पुरुष	योग	महिला			पुरुष	योग	महिला			पुरुष	योग		
गृह रक्षा विभाग	विधवा	परित्यक्ता/तलाकशुदा	सामान्य			विधवा	परित्यक्ता/तलाकशुदा	सामान्य			विधवा	परित्यक्ता/तलाकशुदा	सामान्य			विधवा	परित्यक्ता/तलाकशुदा	सामान्य			विधवा	परित्यक्ता/तलाकशुदा	सामान्य			विधवा	परित्यक्ता/तलाकशुदा	सामान्य			विधवा	परित्यक्ता/तलाकशुदा	सामान्य				
	–	–	2	6	8	–	–	–	1	1	1	–	–	2	3	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	2	18

आरक्षी वाहन चालक (टी.एस.पी. क्षेत्र)

	सामान्य वर्ग					आर्थिक पिछड़ा वर्ग					ओ.बी.सी. वर्ग					एम.बी.सी. वर्ग					एस.सी.वर्ग					एस.टी. वर्ग					उत्कृष्ट खिलाड़ी					भूतपूर्व सैनिकों हेतु बैकलॉग पद सहित	कुल योग
	महिला			पुरुष	योग	महिला			पुरुष	योग	महिला			पुरुष	योग	महिला			पुरुष	योग	महिला			पुरुष	योग	महिला			पुरुष	योग	महिला			पुरुष	योग		
गृह रक्षा विभाग	विधवा	परित्यक्ता/तलाकशुदा	सामान्य			विधवा	परित्यक्ता/तलाकशुदा	सामान्य			विधवा	परित्यक्ता/तलाकशुदा	सामान्य			विधवा	परित्यक्ता/तलाकशुदा	सामान्य			विधवा	परित्यक्ता/तलाकशुदा	सामान्य			विधवा	परित्यक्ता/तलाकशुदा	सामान्य			विधवा	परित्यक्ता/तलाकशुदा	सामान्य				
	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2

6. आरक्षण :

(क) महिलाओं के लिए :

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ. 7 (2) डी.ओ.पी. / क–2 / 98 पार्ट–I दिनांक 22.12.2015 के अनुसार सीधी भर्ती में महिलाओं के लिए उपरोक्त 30 प्रतिशत आरक्षण में से 08 प्रतिशत विधवाओं के लिए और 02 प्रतिशत विच्छिन्न विवाह (तलाकशुदा) महिला अभ्यर्थियों के लिए होगा। विधवा एवम् विच्छिन्न विवाह महिला अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक: प. 7(2)डी.ओ.पी. / क–2 / 96 / पार्ट दिनांक: 13.01.2016 के अनुसार की जावेगी।

किसी वर्ग (सामान्य / आर्थिक पिछड़ा वर्ग / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति / ओ.बी.सी. / टी.एस.पी. / एम.बी.सी.) हेतु उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर ऐसे पदों को उसी वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों से भरा जायेगा। विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम एवम् निवास स्थान के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति / ओ.बी.सी. / टी.एस.पी. / एम.बी.सी.) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पति के नाम के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र आरक्षण की दृष्टि से मान्य नहीं होगा।

(ख) भूतपूर्व सैनिकों के लिए :

राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम–1988 के नियम–3 (क) एवम् कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5 (18) डी.ओ.पी. / क–2 / 84 पार्ट–II दिनांक 17.04.2018 के बिन्दु संख्या–6 नियम–6 (बी) व अधिसूचना क्रमांक प. 5 (18) डी.ओ.पी. / क–2 / 84 पार्ट दिनांक 22.08.2019 जो कि परिपत्र दिनांक 16.08.2016 के अतिक्रमण में जारी किया गया है, अनुसार निर्धारित शर्तें पूर्ण करने पर कुल रिक्त पदों के 12.5 प्रतिशत एवम् गत भर्ती के बैकलाग की रिक्ति, भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित है। भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) है। अर्थात अभ्यर्थी जिस वर्ग (सामान्य / आर्थिक पिछड़ा वर्ग / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति / ओ.बी.सी. / एम.बी.सी.) का होगा। उसी वर्ग के पदों में समायोजित किया जावेगा।

स्पष्टीकरण :

भूतपूर्व सैनिक वर्ग के अन्तर्गत उसी अभ्यर्थी को पात्र माना जायेगा, जो राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम–1988 के नियम–3 (क) के अन्तर्गत परिभाषित है।

(ग) टी.एस.पी. क्षेत्र के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति के लिए :

(i) राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ. 13 (20) कार्मिक / क–2 / 91 / पार्ट दिनांक 04.07.2016 व क्षेत्र विस्तार के सम्बन्ध में अधिसूचना दिनांक 19.05.2018 के प्रावधानानुसार जिन क्षेत्रों को ट्राईबल सब प्लान एरिया के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है, के पदों में अनुसूचित जन जाति हेतु 45 प्रतिशत एवम् अनुसूचित जाति हेतु 05 प्रतिशत पद तथा शेष 50 प्रतिशत अनारक्षित पद केवल स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहेंगे। इन क्षेत्रों में अन्य पिछड़ा वर्ग एवम् एम.बी.सी. वर्ग व आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण "शून्य" रहेगा।

(ii) भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 19.05.2018 एवम् कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 13 (20) कार्मिक / क–2 / 91 पार्ट–3 दिनांक 01.06.2018 द्वारा अनुसूचित क्षेत्र (अनुसूचित क्षेत्र,राजस्थान राज्य आदेश–2018) में राज्य के जिला उदयपुर / चित्तोड़गढ़ / पाली / सिरोही / राजसमन्द के क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र में नया जोड़ने / बढ़ाये जाने के कारण उन क्षेत्रों में भी अन्य पिछड़ा वर्ग / एम.बी.सी. को आरक्षण देय नहीं है।

(iii) ट्राईबल सब प्लान एरिया में पूर्ण अथवा आंशिक रूप से आने वाले क्षेत्रों में ट्राईबल सब प्लान एरिया के स्थानीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवम् स्थानीय अनारक्षित रिक्त स्थानों का विवरण भर्ती हेतु दर्शाये गये रिक्त पदों की तालिका के अभ्यर्थियों के लिए रिक्त पद उपरोक्त तालिका में अंकित है।

(घ) कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक: एफ. 7 (1) डी.ओ.पी. / क–2 / 2017 दिनांक13.02.2019 के अनुसार एम.बी.सी. वर्ग के लिए 05 प्रतिशत आरक्षण देय होगा।

(ङ) कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक: एफ. 7 (1) डी.ओ.पी. / क–2 / 2019 दिनांक20.10.2019 के अनुसार सामान्य वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनकी वार्षिक आय 8.00 लाख रूपये से कम है, उन्हें आर्थिक पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के अभ्यर्थी मानते हुए 10 प्रतिशत आरक्षण देय है।

(च) राजस्थान राज्य के बाहर के अभ्यर्थी : राजस्थान राज्य के अलावा अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / एम.बी.सी. वर्ग / आर्थिक पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जायेगा।

6. वेतनमान और पेंशन :

नियुक्ति के उपरान्त 02 वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में 12800/– रूपये मासिक नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) देय होगा। तत्पश्चात सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार आरक्षी पद की नियमित वेतन श्रृंखला L–3 (Pay matrix Level-3) वेतन एवम् नियमानुसार अन्य भत्ते देय होंगे।

चयनित / नियुक्त होने वाले आरक्षी के लिए राज्य सरकार द्वारा दिनांक01.01.2004 से निर्धारित की गई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

7. भर्ती हेतु पात्रता / योग्यता / छूट :

(i) अभ्यर्थी भारत का नागरिक या नेपाल या भूटान का प्रजाजन / नागरिक होना चाहिए।

(ii) अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में हिन्दी लेखन का व्यावहारिक ज्ञान तथा राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है।

(iii) अभ्यर्थी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (आरक्षी / आरक्षी बिगुलर / आरक्षी ड्रमर्मैन / आरक्षी वाहन चालक) :

पद	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
आरक्षी	किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय / बोर्ड से आठवीं कक्षा उत्तीर्ण या सम्यकरूप से सेवोन्मुक्त भूतपूर्व सैनिक
ड्रमर्मैन / बिगुलर	1. किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय / बोर्ड से आठवीं कक्षा उत्तीर्ण या सम्यकरूप से सेवोन्मुक्त भूतपूर्व सैनिक और बिगुल / ड्रम बजाने का अनुभव
आरक्षी वाहन चालक	1. किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय / बोर्ड से आठवीं कक्षा उत्तीर्ण साथ में भारी या हल्के मोटर यानों का ड्राईविंग लाइसेंस तथा ड्राईवर के रूप में 03 वर्ष का अनुभव और चश्मे सहित या बिना चश्मे की दृष्टि 6X6 या 2. सम्यकरूप से सेवोन्मुक्त भूतपूर्व सैनिक साथ में भारी या हल्के मोटर यानों का ड्राईविंग लाईसेंस प्राथमिक रूप से ड्राईवर व्यवसाय का

(iv) आरक्षी वाहन चालक, पद की पात्रता हेतु आवेदक के पास विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से तीन वर्ष पूर्व का बना हुआ स्थाई ड्राईविंग लाईसेंस (LMV/HMV) होना आवश्यक है।

नोट :

जो अभ्यर्थी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की निर्धारित परीक्षा में अध्ययनरत है, वे भी इस भर्ती हेतु आवेदन कर सकते है, परन्तु उन्हें शारीरिक मापतौल के समय न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होने का मूल प्रमाण-पत्र/अंक तालिका प्रस्तुत करना आवश्यक है। यदि कोई अभ्यर्थी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होने का मूल प्रमाण-पत्र/अंक तालिका प्रस्तुत नही करता है तो उसे शारीरिक मापतौल में सम्मिलित नही किया जावेगा।

(v) आयु सीमा :

राजस्थान गृह रक्षा अधीनस्थ सेवा नियम-2021 के नियम 17 एवम् राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ. 7 (62) डी.ओ.पी./क-2/84 पार्ट दिनांक25.06.2004 एवम् एफ. 2 (1) डी.ओ.पी./क-2/03 दिनांक 17.05.2018 के अनुसार आयु की गणना 01 जनवरी-2022 को आधार मानकर निम्नानुसार की जावेगी।

(vi) आरक्षी, आरक्षी बिगुलर, आरक्षी ड्रमर्मैन, आरक्षी वाहन चालक आवेदको के लिए :

वर्ग (Category)	निम्न तिथि के बाद का जन्म नही हो (न्यूनतम आयु तिथि)	निम्न तिथि के पूर्व का जन्म नही हो (अधिकतम आयु तिथि)		एन.सी.सी. इन्स्ट्रक्टर (अधिकतम आयु तिथि)	
	पुरूष/महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
सामान्य	01.01.2002	02.01.1997	02.01.1992	02.01.1994	02.01.1989
आर्थिक पिछड़ा वर्ग/अनुसूचितजाति/अनुसूचित जन जाति /ओ.बी.सी./एम.बी.सी.	01.01.2002	02.01.1992	02.01.1987	02.01.1989	02.01.1984
भूतपूर्व सैनिक/राजस्थान होम गार्ड्स स्वयं सेवक	01.01.2002	02.01.1982	02.01.1982	–	–

(vii) आरक्षी वाहन चालक, आवेदको के लिए :

वर्ग (Category)	निम्न तिथि के बाद का जन्म नही हो (न्यूनतम आयु तिथि)	निम्न तिथि के पूर्व का जन्म नही हो (अधिकतम आयु तिथि)		एन.सी.सी. इन्स्ट्रक्टर (अधिकतम आयु तिथि)	
	पुरूष/महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
सामान्य	01.01.2002	02.01.1997	02.01.1992	02.01.1994	02.01.1989
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति /ओ.बी.सी./एम.बी.सी.	01.01.2002	02.01.1992	02.01.1987	02.01.1989	02.01.1984
भूतपूर्व सैनिक/राजस्थान होम गार्ड्स स्वयं सेवक	01.01.2002	02.01.1982	02.01.1982	–	–

(viii) शारीरिक मापदण्ड :

राजस्थान होम गार्ड अधीनस्थ सेवा नियम-2021 के नियम 20 के अनुसार अभ्यर्थियों की ऊंचाई, सीने का माप एवम् वजन निम्नानुसार होना अनिवार्य है :-

मापदण्ड	सामान्य क्षेत्र		पहाड़ी जन जाति क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए मापदण्ड	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
न्यूनतम ऊंचाई	168 से.मी.	152से.मी.	160 से.मी.	140 से.मी.
न्यूनतम सीना (केवल पुरुषों के लिए)	बिना फुलाये 81 से.मी. फुलाने पर 86 से.मी. (सीने का कम से कम फुलाव 5 से.मी.)	लागू नही	बिना फुलाये 79 से.मी. फुलाने पर 84 से.मी. (सीने का कम से कम फुलाव 5 से.मी.)	लागू नही
न्यूनतम वजन (केवल महिलाओं के लिए)	लागू नहीं	47.5 कि.ग्रा.	लागू नहीं	43 कि.ग्रा.

नोट :

1. यदि सामान्य क्षेत्र के लिए उपरोक्त वर्णित शारीरिक मापदण्डों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थी उपलब्ध नही होते है, तो उन्हें ऊंचाई व सीने में 5 से. मी. की छूट देय होगी।
2. पहाड़ी एवम् आदिवासी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान होम गार्ड अधीनस्थ सेवा नियम–2021 के नियम 20 के अन्तर्गत मापदण्ड होंगे।
3. समस्त महिला अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित न्यूनतम ऊंचाई 152 से.मी. में किसी प्रकार की छूट देय नही होगी। पहाड़ी/जन जाति क्षेत्र की महिला अभ्यर्थियों की न्यूनतम ऊंचाई 140 से.मी. मान्य रहेगी।

(ix) चिकित्सकीय मापदण्ड :

1. अभ्यर्थी की न्यूनतम निकट दृष्टि N6 (बेहतर आंख) और N9 (बदतर आंख) होनी चाहिए अभ्यर्थी कीदोनो आंखों की दूर दृष्टि 6X6 (बेहतर आंख) और 6X9 (बदतर आंख) होना अनिवार्य है।
2. अभ्यर्थी मानसिक रूप से जागरूक, सुदृढ़ स्वास्थ्य वाला एवम् सभी शारीरिक विकारों, दोषों, रोगों से मुक्त होना चाहिए। अभ्यर्थी मानसिक रुग्णता से ग्रस्त नहीं होना चाहिए।
3. अभ्यर्थी के घुटने आपस में टकराने (knock-knee), नसे फूली हुई होना (varicose veins), भैंगापन (squint), रतौंधी (night blindness), हकलाकर बोलना (stammering), पैर समतल (flat foot), हरनिया (Hernia), शल्य प्रोब्लम (surgical problems) या अन्य कोई विकृति/अंग–भंग जो कर्तव्य पालन में बाधक हो (any other deformity)नहीं होनी चाहिए।

8. नियुक्ति के लिए अयोग्यता :

(i) कोई पुरुष/महिला अभ्यर्थी जिसकी/जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियां/पति है, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी। सिवाय जब तक कि सरकार, यह समाधान कर लेने के पश्चात कि ऐसा करने के लिए वैयक्तिक विधि के अधीन विशेष आधार है, किसी अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट न दे दे।

(ii)कोई महिला अभ्यर्थी, जिसका विवाह ऐसे व्यक्ति से हुआ हो जिसके पहले से कोई जीवित पत्नि है, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगी, सिवाय उस दशा के जहां नियुक्ति प्राधिकारी सरकार के परामर्श से, यह समाधान कर लेने के पश्चात कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है, किसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट न दे दे।

(iii)कोई भी विवाहित अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति का पात्र नही होगा/होगी। यदि उसने अपने विवाह के समय या उसके पश्चात किसी भी समय कोई दहेज स्वीकार किया हो।

स्पष्टीकरण :

इस नियम के प्रयोजन हेतु "दहेज" से यही तात्पर्य होगा, जो दहेज प्रतिबन्ध एक्ट–1961 मे है। (सेन्ट्रल एक्ट–28 ऑफ–1961)

(iv) ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात 02 से अधिक सन्तान हो, सेवा मे नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा। दो से अधिक बच्चो वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए तब तक निर्हित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 01.06.2002 को विद्यमान बच्चो की संख्या मे बढ़ोतरी नही होती। जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वोत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है, किन्तु किसी एक पश्चातवर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते है, वहां बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक ईकाई समझा जायेगा। किसी अभ्यर्थी की सन्तानो की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी सन्तान की, जो पूर्वोत्तर प्रसव से पैदा हुई हो और नि:शक्त हो, गणना नही की जायेगी।

राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ. 7 (1) डी.ओ.पी./क–2/95 पार्ट–II दिनांक 02.01.2017 में वर्णितानुसार कानूनी रूप से किये गये पुनर्विवाह उपरान्त जन्मी प्रथम सन्तान के कारण नियुक्ति के अयोग्य नही माना जायेगा।

(v)चयनित अभ्यर्थियों के लिए राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक: प. 6 (19) गृह–13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र यथा समय वांछनीय होगा।

(vi)आयोग/भर्ती बोर्ड अथवा अन्य किसी संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा से वंचित (debar) किये गये ऐसे आवेदक, जिनके वंचित (debar) होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस परीक्षा हेतु आवेदन नही करें।

(vii)आपराधिक प्रकरणों मे लिप्त/आपराधिक प्रकरणों के तथ्य छुपाने के कारण नियुक्ति से सम्बन्धित प्रकरणों में गृह रक्षा, मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर के स्थाई आदेश क्रमांक 06/2021/24159 दिनांक 10.09.2021 में वर्णित निर्देशों के अनुसार एवम् गृह रक्षा मुख्यालय स्तर पर गठित समिति के निर्णय उपरान्त ही नियुक्ति की कार्यवाही की जायेगी। इस सम्बन्ध में राजस्थान होम गार्ड अधीनस्थ सेवा नियम–2021 के नियमों के तात्कालिक प्रावधान लागू होंगे।

9. भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया :

आरक्षी पद पर चयन राजस्थान होम गार्ड अधीनस्थ सेवा नियम–2021 के नियम 30 के प्रावधानानुसार किया जायेगा। परीक्षा के सभी चरणो हेतु अंकों की गणना निम्नानुसार की जायेगी :–

परीक्षा का चरण	आरक्षी	आरक्षी बिगुलर/आरक्षी ड्रमर्मैन/आरक्षी वाहन चालक
लिखित परीक्षा	120	120
शारीरिक दक्षता परीक्षा	20	10
तकनीकी योग्यता	लागू नही	15
विशेष योग्यता (एन.सी.सी., होम गार्ड, कम्प्यूटर योग्यता) प्रमाण पत्र के आधार पर आवंटित किये जाने वाले अंक	20	15

10. लिखित परीक्षा :

लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र 120 अंको का होगा, जिसमे वस्तुनिष्ठ (objective type) प्रकार के 120 प्रश्न होंगे तथा समयावधि 02 घन्टे की होगी। प्रत्येक प्रश्न के 01 अंक देय होंगे। गलत उत्तर देने पर प्रश्न के लिए निर्धारित अंक का एक चौथाई अंक काटा जायेगा। यह परीक्षा ऑफलाईन तथा ओ.एम.आर. आधारित (offline and OMR based)होगी। प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम,प्राप्तांको का विवरण एवम् प्रत्येक भाग के प्रश्नो की संख्या निम्नानुसार होगी :–

लिखित परीक्षा का सिलेबस	प्रश्न	कुल अंक
विवेचना एवम तार्किक योग्यता	30	30
सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान एवम् समसामयिक विषयो पर	30	30
राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, राजनीति एवं आर्थिक स्थिति इत्यादि	60	60
योग	120	120

- इस लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र मे उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग व ई.डब्लू.एस. वर्ग के अभ्यर्थियो को कुल 40 प्रतिशत प्राप्तांक, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति वर्ग के अभ्यर्थियो को कुल 36 प्रतिशत प्राप्तांक, समग्र रूप से लाना अनिवार्य है।

- ट्राईबल सब–प्लान क्षेत्र के स्थानीय अभ्यर्थियो के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक (Minimum) सीमा लागू नहीं होगी।

- भूतपूर्व सैनिको को प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम अंक 120 का सम्बन्धित वर्ग के निर्धारित उत्तीर्णांक का समग्र रूप से 05 प्रतिशत शिथिलन तथा चयनित भूतपूर्व सैनिकों की विज्ञापित संख्या की अनुपलब्धता के मामले में राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक: एफ. 5 (18) डी.ओ.पी. / क–2 / 84 / पार्ट–II दिनांक: 22.12.2020 के खण्ड–5 में वर्णित नियम अनुसार 05 प्रतिशत छूट देय होगी।

- लिखित परीक्षा के पश्चात प्रश्न पत्र सम्बन्धी आपत्तियां आमन्त्रित करने हेतु पृथक से सूचित किया जायेगा।

- लिखित परीक्षा में पदवार / वर्गवार / महिला / पुरुष रिक्तियो के 05 गुणा अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण किया जायेगा, जिसकी सूचना एवम् परिणाम वेबसाईट <u>https://home.rajasthan.gov.in/homeguards</u> पर देखी जा सकेगी एवम् गृह रक्षा, मुख्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा की जावेगी। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक अन्तिम चयन के लिए सम्मिलित किये जायेंगे।

11. शारीरिक दक्षता परीक्षा (Physical Efficiency Test/PET) :

विभाग की पदवार / वर्गवार / महिला / पुरुष रिक्तियो के 05 गुणा उत्तीर्ण अभ्यर्थियो को शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु बुलाया जायेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा मे सफल अभ्यर्थियो को शारीरिक मापतौल परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा। अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व राजकीय चिकित्सक से शारीरिक दक्षता परीक्षा की दौड़ मे भाग लेने हेतु शारीरिक रूप से योग्य होने का प्रमाण पत्र सम्बन्धित केन्द्र, पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेगा। उसके उपरान्त ही अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा।

लिखित परीक्षा के उपरान्त शारीरिक दक्षता परीक्षा मे गर्भवती महिलाओ (प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी से जारी प्रमाण पत्र व दस्तावेज के आधार पर)को शामिल करने हेतु राज्य स्तर पर यदि उक्त अभ्यर्थी पी.एस.टी. / पी.ई.टी. मे उत्तीर्ण हुई होती तो (विशेष अंक योग्यता के अंक सहित)

आवेदन राज्य स्तर पर उसके अंक वर्ग की कट–ऑफ से अधिक होने की स्थिति में ही उसके लिए पद रिक्त रखा जायेगा और कट–ऑफ से कम अंक होने पर उसके लिए कोई पद रिक्त नही रखा जायेगा। गर्भवती महिला अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित नही होने की सलाह दी जाती है, परन्तु शारीरिक परीक्षा के दिन उपस्थित होकर उपरोक्तानुसार सूचना को बोर्ड के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

समस्त अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 05 किलो–मीटर दौड़ निम्नानुसार समय सीमा में पूर्ण किया जाना आवश्यक है :–

पद नाम	पुरूष	महिला	भूतपूर्व सैनिक	ट्राईबल सब–प्लान क्षेत्र के अनु.जाति/अनु.जन जाति	अंक
आरक्षी,	25 मिनिट	35 मिनिट	30 मिनिट	30 मिनिट	20
आरक्षी वाहन चालक/आरक्षी बिगुलर, आरक्षी ड्रमैन	25 मिनिट	35 मिनिट	30 मिनिट	30 मिनिट	10

नोट :

1. शारीरिक दक्षता परीक्षा मे दौड़ हेतु केवल एक ही अवसर प्रदान किया जायेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए कोई अपील दायर करने का अवसर देय नही होगा।
2. उक्त शारीरिक दक्षता परीक्षा मे निर्धारित समय अवधि में दौड़ पूर्ण नही करने पर अभ्यर्थियों को अनुत्तीर्ण मानते हुये भर्ती की अग्रिम प्रकिया में सम्मिलित नही किया जायेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों के प्राप्तांक अन्तिम चयन के लिए सम्मिलित किये जायेंगे।

12. शारीरिक मापतौल (Physical Standard Test/PST) :

भर्ती बोर्ड शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थियों की शारीरिक मापतौल परीक्षा लेगा। भर्ती बोर्ड शारीरिक मापतौल में उपस्थित समस्त अभ्यर्थियों को उनके मापतौल से अवगत करायेगा तथा हस्ताक्षर करायेगा। अभ्यर्थियों की मापतौल की सूची पर चयन बोर्ड के हस्ताक्षर मय सील किये जायेंगे।

अपील :

शारीरिक मापतौल मे असफल रहे असन्तुष्ट अभ्यर्थी भर्ती बोर्ड के समक्ष निर्धारित प्रक्रियानुसार नकद रूपये 500/– शुल्क जमा कराकर उसी दिन अपील कर सकता है। परीक्षार्थी यदि अपील पर शारीरिक मापतौल मे सफल रहता है, तो उससे लिया गया शुल्क वापस करते हुये उसे चयन प्रक्रिया मे शामिल किया जायेगा। असफल रहने की स्थिति में यह शुल्क वापस नही किया जायेगा। अपील की क्रियान्विति के लिये भर्ती बोर्ड के साथ एक राजकीय वरिष्ठ चिकित्सकों का मेडिकल बोर्ड रहेगा, अपील उसी दिन पूर्ण की जायेगी तथा समस्त अपील के दस्तावेजों पर मेडिकल बोर्ड एवम् चयन बोर्ड के हस्ताक्षर मय सील होंगे। स्थानीय चिकित्सा एवम् स्वास्थ्य अधिकारी से समन्वय स्थापित कर सम्बन्धित नियुक्ति अधिकारी राजकीय वरिष्ठ चिकित्सकों का एक मेडिकल बोर्ड गठन करायेगा, जिसमें एक फिजीशियन, एक सर्जन एवम् एक हड्डी विशेषज्ञ होगा। सीने की माप में अल्प समय मे परिवर्तन होने की सम्भावना रहती है। अतः अभ्यर्थी को किसी प्रकार का नुकसान न हो इसलिए उसी दिन गठित मेडिकल बोर्ड से मापतौल कराई जायेगी तथा वह मापतौल अन्तिम मानी जायेगी। बोर्ड के समक्ष अपील किये जाने वाले अभ्यर्थियों की कार्यवाही की स्पष्ट विडियोग्राफी होगी तथा बोर्ड प्रोसिडिंग के साथ अलग से परिशिष्ट होगा, जिसमें अपील करने वाले की पूर्ण सूचना होगी। अपील के पश्चात हुई मापतौल पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर होंगे। चयन बोर्ड की जिम्मेदारी होगी कि जो अभ्यर्थी छूट प्राप्त कर उत्तीर्ण हो रहा है, उसे पूर्ण रूप से सूचित करेगें तथा उसके हस्ताक्षर लेगे।

शारीरिक नापतौल के दौरान प्रवेश पत्र पर एक सील लगाई जायेगी, जिसमे छूट प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए (PST Pass with Relexation) एवम् बिना छूट प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए (PST Pass without Relexation) अंकित होगा।

नोट : अपील के सम्बन्ध मे भर्ती बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

13. तकनीकी योग्यता परीक्षा (आरक्षी बिगुलर/ आरक्षी ड्रमर्मैन/आरक्षी वाहन चालक आवेदको के लिए) :

तकनीकी योग्यता परीक्षा मे प्राप्त अंक अन्तिम चयन हेतु सम्मिलित किये जायेगे। आरक्षी, आरक्षी वाहन चालक, आरक्षी ड्रमर्मैन, आरक्षी बिगुलर पद की दक्षता परीक्षा मे निर्धारित उत्तरोत्तरानुसार प्राप्तांक अर्जित नही करने पर ऐसे अभ्यर्थी अयोग्य माने जायेगें तथा भर्ती की अग्रिम चयन प्रक्रिया में सम्मिलित नही किया जायेगा।

आरक्षी (वाहन चालक) के लिए :

(a) दक्षता परीक्षा के अन्तर्गत वाहन चालक व वाहन रख-रखाव हेतु निम्नलिखित व्यवहारिक परीक्षण सम्मिलित किये जायेगें :-

	अधिकतम	15 अंक
(i) स्टॉप टैस्ट (Stop Test)	संलग्नक A के अनुसार	03 अंक
(ii) स्टेरिंग परीक्षा (Steering Test) संलग्नक B के अनुसार		03 अंक
(iii) स्लेलोम सर्किट टैस्ट (Slalom Test)		03 अंक
(iv) भारी वाहन चलाने (driving of Heavy VehiclesTest) अनुभव (भारी वाहन चलाने की अनुज्ञप्ति का प्राधिकार)		03 अंक
(v) वाहन मे 03 साधारण यांत्रिक और इलेक्ट्रोनिक व्यवधान को दूर करने का टेस्ट (Removing three simple mechanical and Electrical faults in the vehicle)		03 अंक

(b) निम्न कारणों से अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण किये जायेंगे :

(i) यदि अभ्यर्थी द्वारा वाहन का बुनियादी संचालन सुचारु रूप से न हो।
(ii) वाहन संचालन तथा ब्रेक लगाते समय अभ्यर्थी द्वारा वाहन पर उचित नियंत्रण न हो।
(iii) अभ्यर्थी द्वारा बाधाओं को टक्कर मारने पर।
(iv) स्लेलोम सर्किट को पास नहीं करने पर।

आरक्षी (ड्रमर्मैन/बिगुलर) के लिए निम्नलिखित पृथक-पृथक व्यावहारिक टैस्ट किए जायेंगे।

आरक्षी (ड्रमर्मैन/बिगुलर)	अधिकतम 15 अंक
(i) ड्रमवाद्य/बिगुल/ड्रम की धुन बजाना	08 अंक
(ii) ड्रमवाद्य/बिगुल/आदि के रखरखाव का ज्ञान	07 अंक

विस्तृत विवरण स्थाई आदेश क्रमांक: 06/2021/24159 दिनांक: 10.09.2021 में अंकित है।

14. विशेष योग्यता परीक्षा :

आरक्षी, आरक्षी बिगुलर, आरक्षी ड्रमर्मैन, आरक्षी वाहन चालक के अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता, मापतौल परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त विशेष योग्यता हेतु प्रमाण पत्रों के आधार पर निम्नानुसार अंक प्रदान किये जावेंगे।

एन.सी.सी. :

क्रम संख्या	प्रमाण-पत्रों की श्रेणी	अंक
1.	सी प्रमाण पत्र	05
2.	बी प्रमाण पत्र	04
3.	ए प्रमाण पत्र	02

होम गार्ड :

क्र. सं.	सेवा अवधि	अंक
1.	होम गार्ड मे निरन्तर 05 वर्ष तक सेवा देने पर	10
2.	होम गार्ड मे निरन्तर 03 वर्ष तक सेवा देने पर	08
3.	होम गार्ड मे निरन्तर 02 वर्ष तक सेवा देने पर	06

विशेष योग्यता : (केवल आरक्षी सामान्य पद के लिए)

क्र. स.	विवरण	अंक
1.	कम्प्यूटर योग्यता	अधिकतम 05 अंक

नोट : उपरोक्त विशेष योग्यताओं मे आरक्षी सामान्य पद हेतु अभ्यर्थियों को अधिकतम 20 अंक एवम आरक्षी वाहन चालक , आरक्षी बिगुलर, आरक्षी ड्रमर्मैन को अधिकतम 15 अंक देय होंगे।

15. चयन सूची :

अभ्यर्थियों द्वारा समग्र प्रकार (लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा/मापतौल, विशेष योग्यता एवम् वाहन चालक की दक्षता परीक्षा) के प्राप्तांकों के आधार पर प्रत्येक स्तर पर वर्गवार रिक्त पदो के अनुरूप वरीयता क्रम मे चयन सूची राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ. 7 (1)डी.ओ.पी./क-2/99 दिनांक 26.07.2017 में निहित प्रावधानानुसार तैयार की जावेगी। राज्य सरकार का उक्त परिपत्र चयन प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर प्रभावी रहेगा अर्थात यदि आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी लिखित परीक्षा मे स्वयं के वर्ग मे उत्तीर्ण हुआ है, परन्तु उसके अंक अनारक्षित वर्ग के कट ऑफ से कम है तो अन्तिम चयन सूची मे उसका चयन अनारक्षित वर्ग के पदो के विरूद्ध नही किया जावेगा।

16. स्वास्थ्य परीक्षण :

मेडिकल बोर्ड से चिकित्सीय परीक्षण मे उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियो को ही नियुक्ति हेतु पात्र माना जावेगा।

अपील : उक्त चिकित्सीय परीक्षण मे अनुपयुक्त पाये जाने वाले अभ्यर्थियो द्वारा अपील करने पर द्वितीय मेडिकल बोर्ड गठित कर चिकित्सीय परीक्षण कराया जावेगा। पुनः स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाना अभ्यर्थी का अधिकार नही है, परन्तु स्वास्थ्य परीक्षण की अयोग्यता की स्थिति मे प्रथम बोर्ड द्वारा किये गये स्वास्थ्य परीक्षण की दिनांक से एक माह के भीतर दस्तावेजी सबूत के साथ अपील करने पर विभाग विचार कर सकता है।

17. प्रमाण पत्र एवम् चरित्र सत्यापन :

चयन सूची पर लिये गये अभ्यर्थियों के आयु शिक्षा एवम् वर्ग, चालक लाईसेंस एवम् विशेष योग्यता आदि से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की जाँच कराई जायेगी तथा वेरीफिकेशन रोल भरवाया जाकर चरित्र सत्यापन कराया जायेगा। प्रत्येक दस्तावेज पर दिनांक अंकित होना आवश्यक

है। सत्यापन के उपरान्त उपर्युक्त पाये जाने वाले अभ्यर्थी को ही नियमानुसार नियुक्ति हेतु पात्र माना जावेगा।

18. प्रमाण पत्र :

अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता एवम् मापतौल परीक्षा (PET/PST) के समय निम्नांकित मूल प्रमाण पत्र एवम् उनकी स्व–प्रमाणित (Self Attested) एक प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होगी।

(i) शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र।

(ii) आयु प्रमाण पत्र (यदि शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र में आयु अंकित नहीं है तो)

(iii) अभ्यर्थी यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/एम.बी.सी./आर्थिक पिछड़ा वर्ग/ई.डब्लू.एस. वर्ग से सम्बन्धित है तो प्रथम श्रेणी दण्डनायक या समकक्ष अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र।

(iv) कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.7(1) डी.ओ.पी./क–2/2019 दिनांक 20.10.2019 के क्रम में आर्थिक पिछड़ा वर्ग के आवेदक आवेदन वर्ष से पूर्व के वित्तीय वर्ष अर्थात वर्ष 2020–2021 की आय का ऑन लाईन जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।

(v) आवेदक यदि राजकीय कर्मचारी है तो राजकीय कर्मचारी होने का प्रमाण पत्र एवम् नियोक्ता/विभागाध्यक्ष द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।

(vi) अन्तिम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने वाली संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा जारी किया हुआ चरित्र प्रमाण पत्र एवम् 02 स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों (रिश्तेदारों के अतिरिक्त) द्वारा जारी किये गये चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।

(vii) भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में एन.ओ.सी./डिस्चार्ज प्रमाण पत्र/पेंशनर प्रमाण पत्र।

(viii) टी. एस. पी. क्षेत्र से सम्बन्धित प्रमाण पत्र।

(ix) निर्धारित परीक्षा शुल्क में छूट ली है तो मूल आवेदन पत्र की फोटो प्रति एवम् आय प्रमाण पत्र।

(x) आवेदक से सम्बन्धित सूचना के लिए विभाग द्वारा चयन उपरान्त निर्धारित आवेदन पत्र भरवाया जावेगा, जिसमें चिपकाने के लिए रंगीन के दो (4.5X3.5 से.मी.) रंगीन फोटो।

(xi) विधवा के मामले में उसे अपने पति की मृत्यु का सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। विच्छिन्न विवाह के मामले में उसे विवाह विच्छेद का दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत करना होगा।

(xii) आरक्षी वाहन चालक हेतु स्थाई ड्राईविंग लाईसेंस (LMV/HMV)जो कि विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से कम से कम 03 पूर्व का जारी हो की मूल प्रति।

(xiii) एन.सी.सी., होम गार्ड, विशेष योग्यता प्राप्त करने के प्रमाण पत्र।

19. महत्वपूर्ण निर्देश :

(i) गृह रक्षा विभाग में भर्ती आरक्षी को राजस्थान के किसी भी जिले में पदस्थापित किया जा सकेगा।

(ii) गृह रक्षा विभाग में जिस वर्ग/लिंग के पद रिक्त है, उन्हीं के लिए आवेदन पत्र स्वीकार्य होंगे।

(iii) आवेदन पत्र में अंकित सभी तथ्य व सूचनाएं सही होनी चाहिए। आवेदन पत्र में अंकित सूचना किसी भी स्तर पर गलत अथवा अपूर्ण पाई जाने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जावेगा। गलत अथवा अपूर्ण सूचना की जानकारी शारीरिक दक्षता परीक्षा अथवा चयन प्रक्रिया के उपरान्त किसी भी स्तर पर सत्यापित हुई तो अभ्यर्थी की नियुक्ति हेतु पात्रता व नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जावेंगे। यदि उक्त गलत सूचना नियुक्ति के बाद भी ज्ञात हुई तो राज्य सेवा से निष्कासन करते हुए नियमानुसार विधि संगत कार्यवाही की जायेगी।

(iv) निरस्त किए गए आवेदन पत्रों की शुल्क की वापसी नहीं की जायेगी।

(v) राजकीय सेवा में सेवारत कर्मचारियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय सम्बन्धित विभागाध्यक्ष का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है, अन्यथा उनकी पात्रता निरस्त की जा सकती है।

(vi) चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में सम्मिलित होने के लिए यात्रा अथवा दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।

(vii) परीक्षा के सभी चरणों में अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र साथ रखना अनिवार्य होगा। प्रवेश पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को परीक्षा में भाग नहीं लेने दिया जावेगा।

(viii) अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में स्वयं की जिम्मेदारी पर भाग लेगा। इस परीक्षा के समय किसी भी प्रकार की अस्वस्थता, शारीरिक हानि अथवा मृत्यु होने की दशा में उसे कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।

(ix) छद्मवेश में कार्य करने अथवा तथ्यात्मक सूचना को छिपाने वाले, जाली दस्तावेज का उपयोग करना दण्डनीय अपराध है। अपराध की गम्भीरता को देखते हुए उन्हें आगामी वर्षों में राज्य सरकार के अधीन किसी पद हेतु आयोजित की जाने वाली परीक्षा में प्रवेश करने से स्थाई अथवा विनिर्दिष्ट अवधि हेतु वंचित भी किया जा सकता है। यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध पूर्व में ऐसा आदेश जारी किया गया हो, जिसकी अवधि समाप्त न हुई हो तो वह इस परीक्षा हेतु अपात्र माना जावेगा।

(x) अनुचित साधनों का उपयोग करने पर उनके विरुद्ध सक्षम अधिकारी, जो भी उचित समझे कार्यवाही कर सकता है, जिसमें परीक्षार्थी के विरुद्ध राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम–1992 के विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत समुचित कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है।

(xi) अन्तिम रूप से चयन उपरान्त अभ्यर्थियों से पृथक से निर्धारित किया गया आवेदन पत्र भरवाया जावेगा, जिसमें विज्ञप्ति के बिन्दु संख्या 18 में वर्णितानुसार सूचना अंकित करते हुए चाहे गये प्रमाण पत्रों की स्व–प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करनी होगी।

(xii) लिखित परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं (ओ.एम.आर.शीट) की जाँच व परिणाम जारी करने का कार्य कम्प्यूटर की मदद से किया जावेगा। परीक्षा के दौरान उत्तर पत्रक में उत्तर पत्रक के पीछे की ओर छपे निर्देशों के अनुरूप सूचना भरना अनिवार्य है। उत्तर पत्रक पर आवश्यक तथ्य अंकित न करने अथवा गलत तथ्य अंकित करने पर अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जावेगा। मूल्यांकन कार्य कम्प्यूटर द्वारा होने के कारण पुनर्गणना अथवा उत्तर पत्रक की प्रति उपलब्ध कराने की प्रार्थना स्वीकार नहीं की जायेगी। उत्तर पत्रक भरने के सम्बन्ध में निर्देश एवम् नमूना प्रवेश पत्र राजस्थान गृह रक्षा विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध रहेंगे।

(xiii) भर्ती प्रक्रिया से सम्बन्धित स्थाई आदेश क्रमांक 06/2021/24159/दिनांक 10.09.2021 एवम् विज्ञप्ति विभाग की वेबसाईट https://home.rajasthan.gov.in/homeguards पर उपलब्ध है। भर्ती के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी सूचना भी वेबसाईट पर उपलब्ध कराई जावेगी।

(xiv) आवेदन पत्र भरने के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की शंका/समस्या के समाधान हेतु ऑन लाईन आवेदन करने की अन्तिम दिनांक तक हेल्प लाईन नम्बर 9352323625 / 7340557555 एवम् ई–मेल आई.डी. recruitmenthelpdesk@rajasthan.gov.in पर सम्पर्क किया जा सकता है।

भर्ती प्रक्रिया के सम्बन्ध में राज्य सरकार एवम् गृह रक्षा, मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी नियम, परिपत्रों का विज्ञप्ति में समावेश किया गया है, फिर भी भर्ती हेतु प्रचलित किसी नियम/परिपत्र का समावेश होने से रह जाने की स्थिति में भी ऐसे नियम/परिपत्र उक्त भर्ती में प्रभावी माने जायेंगे। इसी प्रकार नियमों, परिपत्रों में संशोधन (Amendment) भी लागू होंगे।

(पी.रामजी)
महानिरीक्षक पुलिस
गृह रक्षा, राजस्थान
जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. आयुक्त सूचना एवम् जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक समाज कल्याण/नियोजन/सैनिक कल्याण विभाग, राजस्थान।
3. सचिव, राज्य सैनिक बोर्ड, राजस्थान।
4. प्रभारी, कम्प्यूटर सैल, गृह रक्षा, राजस्थान,जयपुर को भेजकर लेख है कि इसे गृह रक्षा विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करें।

महानिरीक्षक पुलिस
गृह रक्षा, राजस्थान
जयपुर

Annexure "A"

Stop test

3 Marks

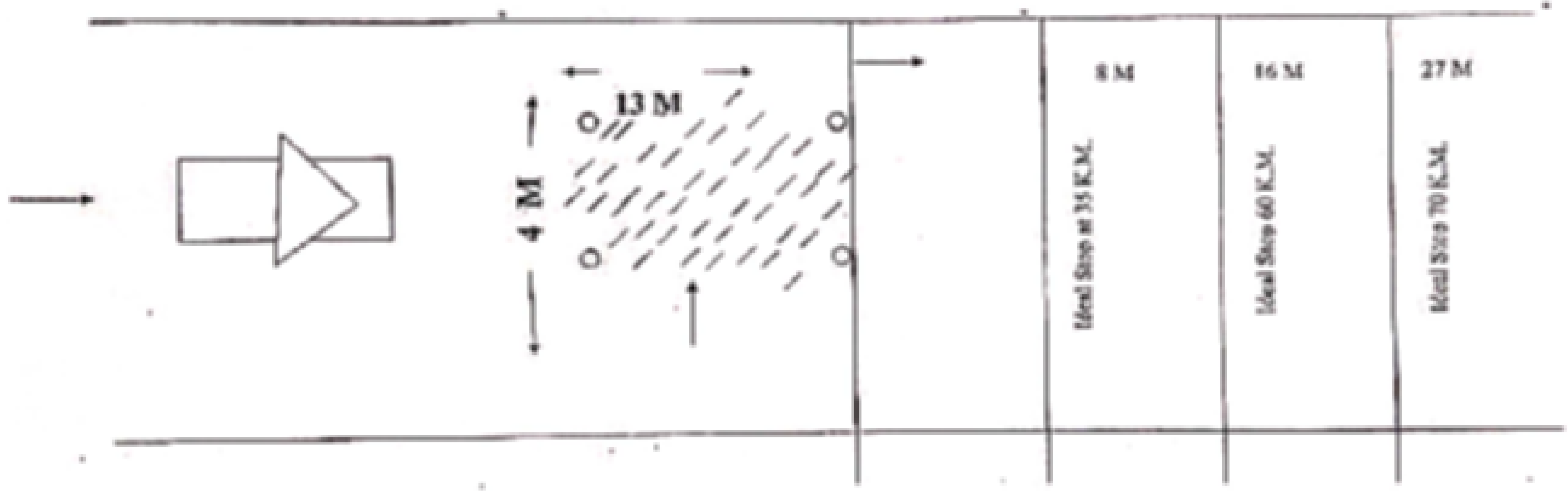

When passing between the first cones, the clutch pedal must be activated and when passing the next cones, the brake pedal must be activated.

Director General & Commandant General
Home Guards, Hqr. Rajasthan,
Jaipur

Annexure "B"

Steering Test 3 Marks

When passing between the first cones, the clutch pedal must be activated and Reducing of speed by the brake pedal and after passing the next cones the obstacle must be avoided by steering control. When passed the obstacle, the vehicle must be brought to a Full stop.

Director General & Commandant General
Home Guards, Hqr. Rajasthan,
Jaipur